श्री अमन समीर, भा0प्र0से0, निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–02.06.26 को पूर्वाहन 11:00 बजे जिला औद्योगिक नवप्रवर्त्तन योजना से संबधित लेखित डी०सी० विपत्र एवं महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के द्वारा लगाए गये आपत्ति के निराकरण हेतू बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति संलग्न सूची के अनुसार :–

कोविड–19 के दौरान बिहार में लौटे कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजनांतर्गत सभी जिलों के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को तत्काल रू0 50.00 लाख की राशि सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने हेतु दिया गया था।

दिनांकः–10.02.2024 को अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजनांतर्गत 100 प्रतिशत राशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र फरवरी 2024 के अंत तक प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। इस निदेश के बाद भी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रों को कई बार स्मारित किया गया।

खगड़िया, शिवहर, नवादा, भागलपुर, कटिहार, मुगेंर, जमुई, मोतिहारी, अरवल और समस्तीपुर इन जिलों का 100 प्रतिशत राशि समायोजित हो चुका है। मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण (छपरा), नालंदा, किशनगंज, अररिया और सीवान द्वारा 100 प्रतिशत राशि समायोजन हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रेषित है।

निदेशानुसार हर्षवर्द्धन लाल, सहायक निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय द्वारा अवशेष राशि के डी0सी0 विपत्र एवं आपति निराकरण को लेकर विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े महाप्रबंधकों द्वारा समायोजन में देरी के के लिए पृच्छा की गई। पृच्छा के आलोक में महाप्रबंधकों द्वारा निम्नवत कारणों का उल्लेख किया गया है :–

❖ **कच्चा बिल या बिना विपत्र के समस्या वाले जिलें :–**

1. जिला उद्योग केन्द्र, लखीसराय :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 3,84,769/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि रू0 03:00 लाख की राशि 02 इकाइयों को दी गई थी। जिसका इकाई द्वारा किसान से टमाटर की खरीदारी की गयी। जिसकी खरीदारी का इकाई द्वारा कच्चा बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। रू0 84,600 डी0डी0सी लखीसराय द्वारा डी0पी0एम0 जिविका को दे दिया गया था, जिसका जिविका वैध बिल प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

2. जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 13,06,700/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि रू0 07,24,400/– के0जी0एम0 रेडिमेड ग्रारमेन्ट तथा रू0 5,81,500/– एम0एस0 विश्वकर्मा फर्नीचर को दिया गया था। जिसका वे लोग वैध बिल प्रस्तुत नहीं कर रहे है।

3. जिला उद्योग केन्द्र, पं0 चम्पारण (बेतिया) :– जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि से इस योजनांतर्गत रू0 17,29,862/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि रू0

12:00 लाख डी0डी0सी0 बेतिया के पास है जिसको डी0डी0सी0 के माध्यम से भेजवाया जा रहा है तथा रू0 5,29,862/– इकाई को दिया गया था। जिसका व्यय कच्चा बिल प्रस्तुत कर रहे है इसके लिए इकाई को नोटिस दिया भेज दिया जाएगा।

4. जिला उद्योग केन्द्र, शेखपुरा :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 75,000/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि यह राशि जिविका को दिया गया था जिविका द्वारा सादा कागज पर कच्चा बिल दिया जा रहा है। जिविका को डी0डी0सी0 शेखपुरा के माध्यम से नोटिस देने हेतु अनुरोध करते है।

5. जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 01,32,780/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि रू0 01:00 लाख कार्यशील पूँजी में है तथा रू0 32,780/– में से रू0 7,500/– मशीन ढुलाई में लग गया है जिसका कच्चा बिल दिया जा रहा है। रू0 24,000/– का पता नहीं चल पा रहा है। इसको पता कर शेष राशि 01 सप्ताह में समायोजित कर दिया जाएगा।

6. जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 3,75,000/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि यह राशि जिन इकाइयों को दिया गया है उन इकाइयों द्वारा कच्चा बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त इकाइयों से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि वे वैध बिल प्रस्तुत करें ताकि शेष राशि का समायोजन किया जा सके।

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया जाता है कि संबंधित उप विकास आयुक्त को पत्र दे जिसमे जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र हेतु कच्चा बिल या बिना विपत्र के समस्या का निराकरण करते हुए 100% राशि का समायोजन किया जा सके।

❖ **प्रशासनिक और तकनीकी कमियों की समस्या वाले जिलें :–**

1. जिला उद्योग केन्द्र, बेगुसराय :– परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 83,558/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि डी0सी0 विपत्र पर महाप्रबंधक का हस्ताक्षर नहीं रहने के कारण डी0डी0सी0 बेगुसराय के पास पड़ा है। जिसको 01 सप्ताह में भेजने हेतु समय देने की कृपा की जाय।

2. जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 16,41,170/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि कार्यालय मुहर नहीं रहने के कारण राशि जमा नहीं हो पाया। इस राशि के विपत्र को 01 सप्ताह में भेजने हेतु समय देने की कृपा की जाय।

3. जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा :– जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि से इस योजनांतर्गत रू0 02,12,664/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि इसके विपत्र में पता नहीं चल पा रहा था कि डी0डी0सी0 तथा महाप्रबंधक को डी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर के नजदीक ही हस्ताक्षर करना है तथा भुगतान के प्रकार को भी दर्ज करना है इन सभी प्रक्रिया को करवाकर विपत्र 01 सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

4. जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 03,01,935/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि इसका डी0सी0 विपत्र डी0डी0सी0 कार्यालय में नाजिर अवकाश में रहने के कारण नहीं जा सका। विपत्र को 02–03 दिनों में भेज दिया जाएगा। पूर्व में भेजे गए विपत्र में 01 चेक से 01 से ज्यादा क्लस्टर को राशि प्रदान की गई है। जिसका कारण डी0डी0सी0 सुपौल से संमन्वय स्थापित कर पता लगाया भेज दिया जाएगा।

5. जिला उद्योग केन्द्र, बांका :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 13,92,869/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि डी0डी0सी0 बांका से समन्वय स्थापित कर डी0सी0 विपत्र तथा ड्राफ्ट 01 सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

6. जिला उद्योग केन्द्र, गोपालगंज :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 85,901/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि 01 पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी जाय कि डी0सी0 विपत्र को कैसे वापस किया जाय।

7. जिला उद्योग केन्द्र, बक्सर :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 10,94,066/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि रू0 06,16,000/– का डी0सी0 विपत्र दिनांकः–29.05.2026 को डी0डी0सी0 बक्सर के पास भेजा गया था। डी0डी0सी0 बक्सर से समन्वय स्थापित को इस राशि के विपत्र को 01 सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

8. जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 1400/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि डी0डी0सी0 रोहतास के माध्यम से 01 सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

9. जिला उद्योग केन्द्र, आरा (भोजपुर) :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 20,317/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि इस राशि को चेक द्वारा 01 सप्ताह में वापस कर दिया जाएगा।

10. जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 07,51,515/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि उक्त राशि का ड्राफ्ट डी0डी0सी0 सीतामढ़ी के माध्यम से 01 सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

11. जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर (भभुआ) :– जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि से इस योजनांतर्गत रू0 31,28,725/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि रू0 30.00 लाख का डी0सी0 बील 02 ब्लॉक चॉद और रामपुर से डी0डी0सी0 द्वारा जमा करना है। रू0 1,28,728/– की राशि बी0डी0ओ0 भभुआ के पास जमा है जिसका समायोजन डी0डी0सी0 कैमूर के माध्यम से करा दिया जाएगा।

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया जाता है कि संबंधित उप विकास आयुक्त को पत्र दे जिसमे जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र हेतु प्रशासनिक और तकनीकी कमियों की समस्या का निराकरण करते हुए 100% राशि का समायोजन किया जा सके।

❖ **लापता वेंडर की समस्या वाले जिलें :–**

1. जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 6,67,868/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि 04 इकाई को नोटिस दिया गया है कि जिसमें 01 इकाई पर रू0 01,62,934 का निलाम वाद दायर किया जा चुका है। रू0 01,84,349/– को डी0डी0सी0 मधेपुरा से वापस करने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसको 01 सप्ताह में भेज दिया जाएगा।

2. जिला उद्योग केन्द्र, गया :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 21,71,428/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि डी0डी0सी0 कार्यालय से जिस आपूर्तिकर्त्ता को राशि दी गई थी उसका पता नहीं चल पा रहा है। डी0डी0सी0 गया से समन्वय स्थापित कर कृत कार्रवाई से 02–03 दिनों में विभाग को अवगत करा दिया जाएगा।

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया जाता है कि संबंधित उप विकास आयुक्त को पत्र दे जिसमे जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र हेतु लापता वेंडर की समस्या का निराकरण करते हुए 100% राशि का समायोजन किया जा सके।

❖ **महालेखाकार द्वारा आपत्ति वाले जिलें :–**

1. जिला उद्योग केन्द्र, अररिया :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत राशि के समायोजन के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया विपत्र में नहीं रहने के कारण महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा आपत्ति की गई है जिसका निराकरण 01 सप्ताह के अन्दर कर दिया जाएगा।

2. जिला उद्योग केन्द्र, सिवान :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत राशि के समायोजन के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि भुगतान की प्रक्रिया विपत्र में नहीं रहने के कारण महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा आपत्ति की गई है जिसका निराकरण 01 सप्ताह के अन्दर कर दिया जाएगा।

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया जाता है कि संबंधित उप विकास आयुक्त को पत्र दे जिसमे जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र एवं महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा लगाए गये आपत्ति का निराकरण करते हुए 100% राशि का समायोजन किया जा सके।

❖ **बैंको में जमा या प्रक्रियाधीन राशि की समस्या वाले जिलें :–**

1. जिला उद्योग केन्द्र, पटना :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 05,22,317/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि उक्त राशि पर कुछ ब्याज आ गया है जिसपर डी0डी0सी0 पटना द्वारा बोला जा रहा है कि ब्याज डीडी0ओ0 उद्योग निदेशालय द्वारा ही जमा किया जाए । यह खाता भी बंद भी हो गया है।

2. जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णियाँ :– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से इस योजनांतर्गत रू0 60,000/– की शेष राशि के बारे में पूछे जाने पर यह बताया गया है कि जिस खाते में शेष राशि थी उसका के0वाई0सी0 नहीं रहने के कारण निकासी नहीं हो पा रही है। डी0डी0सी0 पूर्णियाँ से बैंक को पत्र लिखा जा रहा है कि इसकी निकासी कर इसका समायोजन किया जा सकें। इसके लिए 01 सप्ताह का समय देने की कृपा प्रदान की जाय।

निदेशक, एम0एस0एम0ई0, बिहार, पटना द्वारा निदेश दिया जाता है कि संबंधित उप विकास आयुक्त को पत्र दे जिसमे जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना से संबंधित लंबित डी0सी0 विपत्र हेतु बैंको में जमा या प्रक्रियाधीन राशि की समस्या का निराकरण करते हुए 100% राशि का समायोजन किया जा सके।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Jyoti Kumari 12/6/26

सहायक निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

12/6/26

सहायक निदेशक,
एम0एस0एम0ई0 निदेशालय,
बिहार, पटना।

निदेशक (एम0एस0एम0ई0),
एम0एस0एम0ई0 निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– सं०सं०–08/उ०नि०/DIIS/34–10/2020....1234....   /दिनांकः–..16/06/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित उप विकास आयुक्त, बिहार /संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

12/6/26

सहायक निदेशक
एम0एस0एम0ई0 निदेशालय,
बिहार, पटना।